न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2011/00106 (108/2011) 223 आरटीएक्ट

दीनदयाल पुत्र स्व0 मुरारीलाल आयु करीब 67 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी गणेशगढ हाल आबाद वृद्ध आश्रम रोड़ श्रीगंगानगर तहसील व जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. भजन सिंह (फौत)
1/1 बलवीर कौर पत्नी स्व0 श्री भजन सिंह जाति जटसिख निवासी 1 जीजीआर ढाणी वाटरवर्क्स के पास, पा0ओ0 तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
1/2 राजविन्द्र कौर (पुत्री स्व भजन सिह) धर्मपत्नी श्री गुरमीत सिह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी झुरड़वाला तहसील अबोहर जिला फ़ाज़िल्का (पंज़ाब)
1/3 राजवीर कौर (पुत्री स्व0 श्री भजनसिंह) धर्मपत्नी श्री मुख्त्यार सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी गांव मिढा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंज़ाब)
1/4 नरेन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री भजन सिह) धर्मपत्नी श्री कुलदीप सिह पुत्र श्री मीर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव कारीवाला तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)
1/5 धर्मवीर सिह
1/6 लखीवर सिह
} पुत्रगण स्व0 श्री भजन सिंह अकवाम जटसिख निवासी चक चक 1 जीजीआर ढाणी वाटरवर्क्स के पास तलवाड़ा झील तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. छिन्द्र कौर पत्नी श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. जंगीर सिह पुत्र श्री बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. वासुदेव पुत्र लक्ष्मणदास जाति सिन्धी निवासी टिब्बी हाल आबाद मनु विहार मारूति स्टेट गोधरा रोड़ आगरा (उ.प्र) –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2011 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0स0 53/2005 बअनवानी दीनदयाल बनाम बलदेव सिह आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/1
श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ड संख्या 2, 3
श्री कानाराम वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांकः– 12.11.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में चक नं. 1 जी.जी.आर. प. नं. 231/303 व प. नं. 233/203 की कुल 8 बीघा भूमि के संबंध में बेदखली एवं शाश्वत व्यादेश का प्रस्तुत किया। वादपत्र में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट/वादी की खातदारी भूमि है जो उसने बलदेव सिह को ठेका पर काश्त के लिए दी थी। ठेका की अवधि समाप्त होने पर अपीलाण्ट ने बलदेव सिंह से उक्त भूमि मांगी तो वह भूमि का कब्जा अपीलाण्ट को देने से इंकार हो गया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में बल्देव सिह को बेदखल किये जाने का एवं 5000/– रू0 प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर से ठेका राशि एवं शास्ति की मांग कीं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भजनसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उसका प्रश्नगत भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमाबंदी में सहवन से प. नं. 232/303 की जगह 233/303 दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त किया जाकर उक्त 6 बीघा कृषि भूमि का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी सं0 2 भजनसिंह का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी ने यह अपील प्रस्तुत की हैं।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री कतई गलत एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। प्रतिवादि संख्या 1 बल्देवसिंह पुत्र रामसिंह का वाद के लम्बित रहते देहान्त हो गया था। रेस्पो0 सं0 1 भजनसिंह बल्देव सिह का सगा भाई है लेकिन भजनसिंह ने विचारण न्यायालय में यह स्पष्ट नहीं किया कि बल्देव सिह का स्वर्गवास हो गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है। विचारण न्यायालय में एक अन्य वाद भजनसिंह बनाम दीनदयाल के नाम से इसी कृषि भूमि के संबंध में पेश किया हुआ है एवं राजस्व वाद दिनांक 27.03.2006 को विचारण न्यायालय में पेश किया गया था इसी रेस्पोडेण्ट ने हस्तगत वाद में पक्षकार वाद बनाये जाने का आवेदन पत्र दि[illegible] 2008 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत वाद को हस्तगत वाद के साथ [illegible]डेट किया [illegible] चाहिए था। रेस्पो0 सं0 1 को अपना वाद निरस्त करवाना च[illegible] [illegible]रिस्थितियों को छुपाते हुए अपना प्रतिदावा को डिक्री करवाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:06 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

4. अधिनस्थ न्यायलाय ने कोई विवाद्यक कायम नहीं कियेकि दावा एवं प्रतिदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कायम करने हेतु तारीख निश्चित की जानी थी लेकिन विचारण न्यायालय ने जल्दबाजी में दिनांक 03.05.2011 को रेस्पो0 सं0 1 की और शपथ–पत्र लेकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित कर दी और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज की गई लेकिन अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश परित नही किया गया और ना ही अपीलण्ट/वादी को कोई नोटिस ही प्रेषित किया गया। अपीलाट के अधिवक्ता ने अनुपस्थित होने के बाबत कोई सूचना अपीलाण्ट को नही दी जबकि विधि का यह प्रावधान है कि किसी पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा पैरवी हेतु वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वे नापैरवी हिदायत बिना नोटिस के नही कर सकते ना ही अनुपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं।

5. अपीलाण्ट का वाद कुल 8 बीधा का था लेकिन विचारण न्यायालय ने मात्र 6 बीधा भूमि का निस्तारण किया है शेष 2 बीघा कृषि भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट एवं अपूर्ण है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1, 1/6, 2 व ने अपनी संयुक्त बहस में कथन किया कि प्रश्नगत 8 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट/वादी व रेस्पोडेण्ट संख्या 4 कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रश्नगत भूमि पर हम रेस्पोडेण्टान का कब्जा अर्सादराज से रहा है। अपीलाण्ट/वादी ने कभी भी विरोध नही किया है। हमारा कब्जा शान्ति पूर्व चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में मात्र प0 नं0 गलत अंकित होने का फायदा उठाकर वादी ने वाद पेश किया है जबकि वादी के कब्जा काश्त मे भूमि कभी भी नहीं रही है। हम रेस्पो0 को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से यह वाद पेश किया है। हमारे कब्जे का अपीलाण्ट को हमेशा से ज्ञान रहा है। हमारा प्रतिकूल कब्जा परिपक्व हो चुका है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के नाम से दर्ज होने के कारण हमारे अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था विचारण न्यायालय ने हमारा 12 वर्ष से अधिक समय का प्रतिकूल कब्जा होने के कारण हमें खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अ[illegible] अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 27 (2020) पेज 216, अ[illegible] 2018 (2) [illegible] 948 डीएनजे 2010 (3) पेज 1081 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता लक्ष्मणसिंह पुत्र मेघुमल जाति सिन्धी को विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 के तहत आवंटित की गई थी जिसकी खातेदारी सनद भी दिनांक 09.09.1996 को जारी हो चुकी थी। रेस्पोडेण्ट के पिता का 22 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। अपीलाण्ट ने अमला माल से मिलीभगत कर प्रश्नत भूमि का अभिलेख में अपने नाम से अंकन करवा लिया इस अंकन का कोई आधार नही है। क्योंकि प्रश्गनत भूमि प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि है सनद से सिद्ध होती है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई स्वत्व नही है। राजस्व अभिलेख में षड़यंत्र पूर्वक दर्ज करवाने से किसी प्रकार के अधिकार अर्जित नही हो सकते। इस प्रकार की प्रविष्टि कतई अवैध एवं शून्य है। मुझ पिता की खातेदारी भूमि होने के कारण एवं पिता के फौत होने के बाद उसके समस्त वारिसान को आवश्यक पक्षकार हैं। उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलाण्ट की अपील एवं काउण्टर क्लेम दोनो खारिज किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2009 (2) पेज 954 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में चक नं. 1 जी.जी.आर. प. नं. 231/303 व प. नं. 233/203 की कुल 8 बीघा भूमि के संबंध में बेदखली एवं शाश्वत व्यादेश का प्रस्तुत किया। वादपत्र में प्रश्नगत भूमि <u>अपीलाण्ट/वादी</u> की खातेदारी भूमि होना बताया जो उसने बलदेव सिह को ठेका पर काश्त के लिए दी होना बताया। ठेका की अवधि समाप्त होने पर अपीलाण्ट ने बलदेव सिंह से उक्त भूमि मांगी तो वह भूमि का कब्जा अपीलाण्ट को देने से इंकार हो गया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में बल्देव सिह को बेदखल किये जाने का एवं 5000/- रू0 प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर से ठेका राशि एवं शास्ति की मांग कीं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भजनसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त होना बताया है। जमाबंदी में सहवन से प. नं. 232/303 की जगह 233/303 दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त किया जाकर उक्त 6 बीघा कृषि भूमि का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी सं0 2 भजनसिंह का काउण्टर क्लेम स्वीकार किय[illegible] में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने कथन किया प्रश्नगत भूमि उक्त अ[illegible] दोनों की ही नहीं है बल्कि यह भूमि उसके पिता [illegible] को विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 के [illegible] आवंटित की गई थी जिसकी

राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी सनद भी दिनांक 09.09.1996 को जारी हो चुकी थी। अपीलाण्ट यह स्पष्ट नही कर पाया की जब प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 4 के पिता को कस्टोडियन विभाग द्वारा आवंटित की गई थी तो उसके नाम कैसे दर्ज हुई। यदि अपीलाण्ट के नाम प्रश्नगत भूमि दर्ज हुई तो रेस्पोडेण्ट उस पर कैसे काबिज है तथा मूल आवंटि का उसपर कब्जा काश्त क्यों नहीं है तथा उसके वारिसान को वाद में पक्षकार क्यों नही बनाया गया हैं। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का वाद खारिज किया जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया गया है विधि अनुसार अपीलाण्ट को वाद खारिज होने एवं काउण्टर क्लेम के स्वीकार होने के आदेश के विरूद्ध दो अलग अलग अपीलें करनी अपेक्षित थी जो नहीं की गई है। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2011 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/11/20

(करतार सिंह पूनिया, आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2011/00106 (108/2011) 223 आरटीएक्ट

दीनदयाल पुत्र स्व0 मुरारीलाल आयु करीब 67 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी गणेशगढ हाल आबाद वृद्ध आश्रम रोड़ श्रीगंगानगर तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. भजन सिंह (फौत)

1/1 बलवीर कौर पत्नी स्व0 श्री भजन सिंह जाति जटसिख निवासी 1 जीजीआर ढाणी वाटरवर्क्स के पास, पा0ओ0 तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

1/2 राजविन्द्र कौर (पुत्री स्व भजन सिह) धर्मपत्नी श्री गुरमीत सिह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी झुरड़वाला तहसील अबोहर जिला फ़ाज़िल्का (पंज़ाब)

1/3 राजवीर कौर (पुत्री स्व0 श्री भजनसिंह) धर्मपत्नी श्री मुख्त्यार सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी गांव मिढा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंज़ाब)

1/4 नरेन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री भजन सिह) धर्मपत्नी श्री कुलदीप सिह पुत्र श्री मीर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव कारीवाला तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)

1/5 धर्मवीर सिह
1/6 लखीवर सिह
} पुत्रगण स्व0 श्री भजन सिंह अकवाम जटसिख निवासी चक 1 जीजीआर ढाणी वाटरवर्क्स के पास तलवाड़ा झील तहसील व जिला हनुमानगढ।

2. छिन्द्र कौर पत्नी श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. जंगीर सिंह पुत्र श्री बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. वासुदेव पुत्र लक्ष्मणदास जाति सिन्धी निवासी टिब्बी हाल आबाद मनु विहार मारूति स्टेट गोधरा रोड़ आगरा (उ.प्र)

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2011 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0स0 53/2005 बअनवानी दीनदयाल बनाम बलदेव सिंह आदि

रूबरू श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/1 , श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ड संख्या 1/6, 3, श्री कानाराम वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4, की ओर से पेश होकर [illegible] अपीलाण्ट खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2011 यथावत रखा जाता है। [illegible] दिनांक 12.11.2020 को मेरे हस्ताक्षरों से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:06 IST
Reason: SelfAttested

12/XI/20

(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner